बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०–ल०सिं०मो०–जनसम्पर्क–124/2016– 895 (म०) /पटना, दिनांक– 06/5/2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०,
अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, ...।
सभी अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल, ...।
सभी मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, ...।

विषयः–**कोरोना वैश्विक महामारी के संदर्भ में मीडिया को ब्रीफिंग के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**मुख्य सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का पत्रांक–581, दिनांक–22.04.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कई बार पदाधिकारियों द्वारा संक्रमण से सम्बन्धित सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उठाये जा रहे कदमों या लिये जा रहे निर्णयों के बारे में अपने स्तर से मीडिया को ब्रीफ किया जाता है या सोशल मीडिया में जानकारी दी जाती है, जसके कारण कई बार महत्वपूर्ण निर्णयों/कदमों की जानकारी विधिवत रूप से मीडिया को नहीं मिल पाती है तथा कई बार मीडिया में भ्रांति उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक ही विषय पर अलग–अलग तरह की सूचनायें मीडिया में प्रकाशित होने की सम्भावना बनती है।

उपरोक्त के आलोक में प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में अन्य कोई पदाधिकारी मीडिया को अलग से ब्रीफिंग नहीं करें।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

06/5/2020

(गोपाल मीणा)
अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-\MAY-2020\CORONA- VIRUS-06-05-2020.DOCX

145

अप०/ आ०(स०उ०)

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना
27 APR 2020
(प्रधान सचिव कोषांग)

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

581 सू०ज०स०वि० बिहार, पटना दिनांक :– 22/04/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव।

1731/प्र.स.को.
27/4/20

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / पुलिस महानिदेशक / प्रधान सचिव / सचिव

903
28/4/20

विषयः– **कोरोना वैश्विक महामारी के संदर्भ में मीडिया को ब्रीफिंग के संबंध में।**

महाशय,

आप सभी अवगत हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। बिहार सरकार के द्वारा इसकी रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लागू लॉक–डाउन के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के ध्यान में रखते हुये उन्हें हर सम्भव मदद उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः सरकार द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों एवं उठाये जा रहे महत्वपूर्ण कदमों की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है।

253 m
7/4
30/4
1763 (मो०)
4/5/20

उक्त के आलोक में यह निर्णय लिया गया था कि सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उठाये जा रहे कदमों की जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचाने हेतु सामान्यतः प्रतिदिन अपराह्न 04:00 बजे सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया को ब्रीफ किया जायेगा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव, स्वास्थ्य विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) तथा नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भी महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया को देने हेतु उपस्थित रहेंगे। मीडिया ब्रीफिंग हेतु सरकार के स्तर से यह एकीकृत व्यवस्था की गयी है।

यह देखा जा रहा है कि कई बार पदाधिकारियों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उठाये जा रहे कदमों या लिये जा रहे निर्णयों के बारे में अपने स्तर से मीडिया को ब्रीफ किया जाता है या सोशल मीडिया में जानकारी दी जाती है जिसके कारण कई बार महत्वपूर्ण निर्णयों / कदमों की जानकारी विधिवत रुप से सभी मीडिया को नहीं मिल पाती है तथा कई बार मीडिया में भ्रांति उत्पन्न होती है जिसके कारण एक ही विषय पर अलग–अलग तरह की सूचनायें मीडिया में प्रकाशित होने की संभावना बनती है। सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों / लिये गये निर्णयों को लेकर किसी प्रकार का संशय न हो इसके लिये एकीकृत मीडिया ब्रीफिंग की व्यवस्था की गयी है।

अतः सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के आलोक में लिये गये निर्णयों / किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रतिदिन अपराह्न 02:00 बजे तक सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को ई–मेल / WhatsApp / दूरभाष (मो० नं०–9473191481, ई–मेल anulko74@gmail.com) पर अवश्य उपलब्ध करा दें ताकि प्रतिदिन की प्रेस ब्रीफिंग में इन कार्यों के संबंध में मीडिया को समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

(अगले पृष्ठ पर ....)

144

(2)

उपरोक्त आलोक में यह निदेश भी दिया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में किये जा रहे कार्यों के संबंध में अन्य कोई पदाधिकारी मीडिया को अलग से ब्रीफिंग नहीं करें। कृपया इस निदेश से सभी पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :- 581 सू०ज०स०वि० बिहार, पटना दिनांक :- 22/04/2020

प्रतिलिपि –प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(मुख्य सचिव)